शासकीय स्वशासी महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

/एन.एच.एम./2023 इन्दौर, दिनांक ....../......./2023

–:: संशोधित आदेश ::–

कार्यालयीन आदेश कमांक 932/एन.एच.एम/2023 में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत दिनांक 20.03.2023 को आयोजित स्कुटनी के माध्यम से निम्नलिखित को एन.एच.एम. भोपाल से अनुमोदन प्राप्ति उपरांत निम्नलिखित की पदस्थापना चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में आर. बी. एस. के. शाखा के अंतर्गत REIC स्टॉफ में पदस्थ करते हुयें एन.एच.एम. की शर्तो के अधीन संविदा आधार पर निर्धारित मानदेय में की जाती है :–

क्र	अभ्यर्थी का नाम	नियुक्ति श्रेणी	पदनाम	प्रतिमाह मानदेय राशि
1	DEEPENDRA PATEL	UR	AUDIOLOGIST	20000/–(बीस हजार रू)
2	SANDEEP JOSHI	UR	SOCIAL WORKAR	12000/–(बारह हजार रू)
3	PRIYA THAKUR	UR	PHYSIOTHERAPIST	25000/–(पच्चीस हजार रू)
4	ANANYA SHARMA	UR	PSYCHOLOGIST	20000/–(बीस हजार रू)
5	NEELESH KUMAR JOSHI	UR	SPECIAL EDUCATOR	15000/–(पन्द्रह हजार रू)

संविदा सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1 संविदा अवधि आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए रहेगी। समिति अपनी आवश्यकतानुसार एंव विवेक अनुसार नई अवधि के लिये नया अनुबंध कर सकेगी।

2 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा।

3 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जायेगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है।

4 किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार है कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दे।

5 चयनित अभ्यर्थी, संविदा आदेश प्राप्त होने पर तत्काल प्राधिकारी के साथ 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, संविदा सेवा में माना जाएगा।

6 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार संविदा के आधार पर चिकित्सा सेवायें प्रदान करेंगे। समिति एवं संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध नही होगें। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एक मुश्त राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

7 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह संविदा आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा पदस्थापना के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में, संविदा स्वतः रदद् हो जाएगी। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहरण करने की सूचना, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजी जाएगी।

8 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बतायें तुरन्त रदद् कर दी जाएगी।

9 प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने से पूर्व, संविदा में नियुक्त उम्मीदवार, स्वयं अपने व्यय पर, जिला चिकित्सा बोर्ड में चिकित्सीय परीक्षण करावाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा वैध होगी।

10 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा केवल किसी विशिष्ट स्थान के लिये होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।

11 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को एक अवधि के लिए केवल 15 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा में नियुक्त उम्मीदवार जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम नब्बे दिनों की कालावधि के प्रसूति अवकाश की हकदार होंगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगी।

12 यदि संविदा में नियुक्त उम्मीदवार बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

13 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार उसकी संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।

14 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिये हकदार नही होगा।

15 संविदा में नियुक्त उम्मीदवार यदि संविदा सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01माह के मानदेय के समतुल्य राशि जमा करनी होगी। यदि चिकित्सालय प्रशासन या विभागाध्यक्ष द्वारा किसी संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को सेवा से पृथक किया जाना हो तो उसके लिये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

16 कर्तव्य का पालन न करने अथवा निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने अथवा उपरोक्त शर्तो का पालन न करने अथवा किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा समाप्त कर दें।

17 संबंधित संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को प्रतिमाह उनके किये गये कार्यों का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालनअधिकारी एवंअधिष्ठाता
शास.स्व.म.गॉ.स्मृतिचिकित्सामहाविद्यालय, इन्दौर

पृ.क्र./933-40-A/एन.एच.एम./2023 इन्दौर, दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल।
2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल।
3 मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स जेलरोड भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक एन.एच.एम./एच.आर. /सेल–3/2022/ दिनांक के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक म.य.चिकित्सालय इन्दौर।
5 प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पिडियाट्रिक सर्जरी।
6 डॉ. ब्रजेश लाहोटी, प्राध्यापक पिडियाट्रिक सर्जरी (नोडल अधिकारी एन.एच.एम.)।
7 लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय इन्दौर।
8 संबंधित की ओर पालनार्थ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालनअधिकारी एवंअधिष्ठाता
शास.स्व.म.गॉ.स्मृतिचिकित्सामहाविद्यालय, इन्दौर